# न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–121/2021 दिनांक : 24.01.2021

**उनवान**

कालूराम पिता मोहनलाल जाति नाई उम्र व्यस्क निवासी कुंथना तहसील भदेसर

........वादी

//बनाम//

1. भगवानलाल पिता उदा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कुंथना तहसील भदेसर
2. भेरूलाल पिता उदा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कुंथना तहसील भदेसर
3. प्रेमी पिता उदा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कुंथना तहसील भदेसर
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..........प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188, रा0 का0 अधि0 1955**

उपस्थित– श्री उमेश आगाल वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात कुंथना पटवार हल्का कुंथना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित खाता सं0 111 खसरा संख्या 576 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर मौके पर किसी प्रकार का विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ है उक्त आराजीयात में वादी का 3/4 एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का है एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहें है। किन्तु खाता शामलाती होने से तथा बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा इच्छानुसार बाड का निर्माण कार्य कर रहे है जिससे विवाद पैदा हो रहा है। अतः माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 29.07.2021 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा कुंथना की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीश्नर नियुक्त किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/555 दिनांक 11.01.2022 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

| क्र. स. | नाम खातेदार | आराजी नम्बर | रकबा हैक्ट. | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कालूराम पुत्र मोहनलाल नाई सा0देह खातेदार | 576/1 | 0.24 | चाही 2 | 5.04 |
| | किता | 1 | 0.24 | | 5.04 |
| 2 | उदी पत्नि उदा 1/4 जाट, प्रेमी पुत्री उदा 1/4 जाट, भगवान पुत्र उदा 1/4 जाट, भेरुलाल पुत्र उदा 1/4 | 576/2 | 0.08 | चाही 2 | 1.68 |
| | किता | 1 | 0.08 | | 1.68 |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़